

विज्ञापन क्रमांक 5041 /सम्पदा/24 कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
 विभिन्न आकार के भूखण्डों हेतु ऑफर आमंत्रण भोपाल, दिनांक 15/10/24

प्राधिकरण की विद्या नगर चरण-02, योजना स्थित भूखण्डों का विक्रय निम्न तालिकाओं में वर्णित होकर ऑनलाईन वेबसाइट <https://Vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से ऑफर दिनांक 16/10/2024 से दिनांक 29/10/2024 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राद ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 30/10/2024 को खोले जायेंगे।

क्र०	भूखण्ड/ इकाई का विवरण	भूखण्डों/ इकाइयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षण की श्रेणी, यदि आरक्षित हो	भूखण्ड/ इकाई की आरक्षित कीमत प्रति भूखण्ड	पंजीयन राशि (घरेलू राशि)
1	2	3	4	5	6	7
1	भूखण्ड क्र०-04	आवासीय	256	सामान्य	1,30,09,920	13,00,992
2	भूखण्ड क्र०-05	आवासीय	283	सामान्य	1,43,82,060	14,38,206
3	भूखण्ड क्र०-18	आवासीय	151	सामान्य	63,42,000	6,34,200
4	भूखण्ड क्र०-150-बी	आवासीय	115	अनु० जनजाति	53,13,000	5,31,300

1. भूखण्ड पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निर्धारण शुल्क (भू-राजस्व प्रीमियम राशि) पृथक से देय होगा।
2. भूखण्ड पर भारित रहवासी समिति शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किस्त में पृथक से देय होगा।
3. जल प्रदाय स्ट्रीट लाईट एवं साफ-सफाई संचालन नद में 24 माह की राशि अग्रिम आविष्य के पूर्व पृथक से देय होगी।
4. सम्पत्ति भू-स्वामी अधिकार पर विक्रय हेतु है।
5. अन्य लागू टेक्स शासन नियमानुसार देय होगी।
6. आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि ऑफर मूल्य पर कटौती कर आयकर कार्यालय में जमा कर फार्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. ऑफर स्वीकृति राशि मूल्य का 60 प्रतिशत पंजीयन राशि के समायोजन सहित आवंटन आदेश जारी होने के 45 दिवस के अन्दर निर्धारित समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. शेष राशि प्राधिकरण द्वारा समय पर मांग पत्र अनुसार देय होगी एवं शेष राशि 180 दिवस के भीतर जमा किया जाना होगा।
9. ऑफर स्वीकृति अनुसार मांग पत्र जारी होने पर निर्धारित अवधि में राशि जमा न किये जाने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।
10. प्रचलित व्ययन नियम में वर्णित नियम एवं प्रावधान मान्य होंगे।
11. सभी भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित है।

12. भूखण्डों का विक्रय यथास्थिति में प्रस्तावित है। भूखण्डों का स्थल निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
13. भूखण्ड की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी, तथा आवंटन आदेश में वर्णित शर्तें मान्य होगी।
14. शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
15. ऐसा कोई व्यक्ति जिन्हें नियत मूल्य पर कोई सम्पत्ति अन्तरित की गई हो तत्संबंधी नियम के अन्तर्गत उसी योजना में किसी सम्पत्ति के लिए बोली लगाने या आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
16. दस्तावेज पूर्ण अपलोड नहीं होने की दशा में प्रस्ताव नहीं खोला जावेगा।
17. वेबसाइट पर घोषित विज्ञापित की शर्तें मान्य होंगी।
18. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष भोविप्रा का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

[Handwritten Signature]

सम्पदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल

जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

1—श्री रवि सिंह आई0टी0 (ऑनलाईन प्रक्रिया से संबंधित) मो0-8770234380